



प्रेषक,

सोमनाथ,

संयुक्त सचिव,

उOप्रOशासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, उOप्रO, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरOआईOडीOएफO योजना के अन्तर्गत अनुदान संO-57/83 मद में विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के O4 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आरOआईOडीOएफO योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के O4 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹O 146.49 लाख (जिसमें अनुदान संO-57 से ₹O 115.43 लाख एवं अनुदान संO-83 से ₹O 31.06 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका

(धनराशि ₹O लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड /जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान संO-57	अनुदान संO-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20587/CE-SEB/NAB ARD(BRI DGE)/JH A/2025-26 Dt-29-03-2026	निOखO-3 झांसी	जनपद झांसी में एरच ककरबई मार्ग (ओOडीOआरO) के किOमीO-23 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 2x6.00x4.00 मीO स्पान का आरOसीOसीO बॉक्स कल्चर्ट के निर्माण कार्य।	10/2025/15/001-23-9099(099)-13-2024-दिनांक-03-01-2025	128.11 128.11	10.51	117.60	89.68	27.92	22.00	5.92	27.92
2	20617/CE-SEB/NAB ARD(BRI DGE)/JH A/2025-26 Dt-30-03-2026	निOखO-3 झांसी	रामनगर-बेंदा-एरच मार्ग के किमी.-5(600) में नाले पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	47/2023/आईO/508/2023-23-9002(001)/2/2022-दिनांक-03-03-2023	409.15 409.15	5.45	403.70	356.12	47.58	37.49	10.09	47.58
3	20588/CE-प्राOखO सोनभद्र	प्राOखO सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में गोडापाथर सम्पर्क	10/2025/15/001-	158.75 158.75	12.70	146.05	87.00	59.05	46.53	12.52	59.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	SEB/NAB ARD(BRI DGE)/MI R/2025- 26 Dt- 29-03- 2026		मार्ग के कि०मी० 07 में लघु सेतु का निर्माण	23- 9099(099)-13- 2024- दिनांक-03- 01-2025								
4	20616/CE - SEB/NAB ARD(BRI DGE)/BA S/2025- 26 Dt- 30-03- 2026	नि.ख. (बांसी) सिद्धार्थन गर	छितही से पड़री होते हुए रुधौली बखिरा मार्ग के किमी०- 3 में 1x6 मी० लम्बाई के बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	10/2025/ 15/001- 23- 9099(099)-13- 2024- दिनांक-03- 01-2025	74.98 74.98	10.56	64.42	52.48	11.94	9.41	2.53	11.94
			योग							115.43	31.06	146.49

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
 - (4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
 - (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
 - (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
 - (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुनः कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,15,43,000(रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख तैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 31,06,000 (रुपये इकतीस लाख छः हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0** के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/2026/ आई/1285113/2026(1)/011-23-9-2026-23-9002-002-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0 प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 8- प्रबंधक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 30प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
- 13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
- 14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
- 15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।